SENT THROUGH E-MAIL

राजस्थान सरकार

निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– एफ.वी. 3( )निगो/गोपंनसु/मु.मं. ब.घो./2016/ 7669-7701 दिनांकः– 14/12/16

समस्त जिला संयुक्त निदेशक,
पशुपालन विभाग, ...

विषय :– गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि से गौशाला/कांजी हाऊस में आवासित गौवंश को सहायता राशि हेतु संस्था द्वारा टैग लगवाये जाने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 व उसके अन्तर्गत जारी दिनांक 23.11.2016 के अनुरूप गौशाला/कांजी हाऊस में संधारित गौवंश हेतु सहायता राशि माह जनवरी फरवरी एवं मार्च 2017 (अधिकतम 90 दिवस) हेतु दी जानी है। जिले की समस्त गौशाला/कांजी हाऊस तथा उनमें दिनांक 01.12.2016 को संधारित वास्तविक गौवंश का भौतिक सत्यापन आपके द्वारा नामित वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा किया जाकर सर्वे रिपोर्ट निदेशालय को प्राप्त हो चुकी है।

राजस्थान गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 के नियम 12 में संस्थाओं द्वारा आर्थिक सहायता हेतु पात्रता की शर्तों के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि संस्था द्वारा संधारित गौवंश की पहचान हेतु टैग लगाना अनिवार्य होगा तथा टैग गौशाला/कांजी हाऊस द्वारा स्वयं के खर्चे से लगवाये जायेंगे।

अतः उक्त क्रम में लेख है कि गौशाला/कांजी हाऊस द्वारा गौवंश की पहचान हेतु किये जाने वाले टैगिंग कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु चिकित्सा सहायक/पशुधन सहायक को अपने स्तर से निर्देशित करने का श्रम करे।

निदेशक

क्रमांकः– एफ.वी. 3( )निगो/गोपंनसु/मु.मं. ब.घो./2016/ 7702-08 दिनांकः– 14/12/16

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग क्षेत्र, ... राजस्थान।

निदेशक